

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES  
AND  
DELHI LEGAL SERVICES AUTHORITY**

run a Legal Aid Clinic in NCM Office  
5<sup>th</sup> floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi-110003

On Every Wednesday(except Govt. holidays)  
Between 2.00 PM to 4.00 PM

The residents of Delhi belonging to the five notified minorities i.e. Muslims, Christian, Sikhs, Buddhists & Parsis and meeting any of the following criteria are eligible for free legal aid:-

- (a) A Member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe
- (b) A victim of trafficking in human beings or beggar
- (c) A woman or child
- (d) A person with disability such as suffering from blindness, locomotor disability, hearing impairment, mental illness or retardation or leprosy cured.
- (e) A victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster.
- (f) An industrial workman
- (g) An under trial in custody, including a juvenile i.e. a person up to the age of 18 years in a protective home or a mentally ill person in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home.
- (h) A person with an annual income of less than Rs. 1,00,000/-
- (i) Transgender with an annual income less than Rs. 2 Lacs.
- (j) Senior Citizens with an annual income less than Rs. 2 lacs.

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

एवं

### दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, खान मार्केट लोकनायक भवन 5वां तल नई दिल्ली, 110008-  
में 3 अगस्त, 2011 (राजपत्रित अवकाश छोड़कर), प्रत्येक बुधवार अपराह्न 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे  
तक विधिक सहायता चिकित्सालय प्रारंभ किया जा रहा है।

दिल्ली निवासी पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्धधर्मी और पारसी) तथा निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को रखने वालों के लिए **विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श मुफ्त में उपलब्ध** होगा:-

- (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्य।
- (ख) मानव व्यापार से पीड़ित या भिखारी।
- (ग) महिला या बच्चे।
- (घ) शारीरिक विकलांगता जैसे कि अंधपन से पीड़ित, लोकोमोटर अपंगता, बधिरता, मानसिक रोग से पीड़ित या सामान्य रूप से अविकसित या कुष्ठरोग से उपचारित।
- (ङ) व्यापक महाविपदा, मानवजातीय हिंसा, जातिगत नृशंसता, बाढ़, अकाल, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित
- (च) औद्योगिक कर्मचारी।
- (छ) संरक्षण में अभियोगाधीन व्यक्ति, किशोरो सहित, अर्थात् संरक्षण गृह में 18 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति या मनोविकृति संबंधी अस्पताल या मनोविकृति संबंधी नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
- (ज) 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति।
- (झ) 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय के रखने वाले परालिंगी।
- (ञ) 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय रखने वाले वरिष्ठ नागरिक।